अनुदान संख्या–79
13 अंकों का कोड–2225030010300
अधिष्ठान व्यय हेतु आबंटन 2017–18

प्रेषक,

निदेशक,
पिछड़ा वर्ग कल्याण,
उत्तर प्रदेश,लखनऊ।

सेवा में,

आहरण वितरण अधिकारी/,
जिला पिछड़ा वर्ग कल्याण अधिकारी,
आगरा, मैनपुरी, बरेली, बिजनौर, पीलीभीत, इटावा, फतेहपुर, इलाहाबाद, हमीरपुर, मिर्जापुर, गाजीपुर, सीतापुर, हरदोई, लखीमपुरखीरी, फैजाबाद, सुल्तानपुर, गाजियाबाद, सिद्धार्थनगर, फिरोजाबाद, महराजगंज, हाथरस, संतकबीर नगर एवं अमेठी (23 जनपद)

पत्रांक/009–डीबीए/2859/पि0व0क0/अधि0आवं0/2017–18 लखनऊःदिनांकः 23-03-18 मार्च, 2018

विषयः वर्तमान वित्तीय वर्ष 2017–18 के आय–व्ययक की अनुदान संख्या 79 के लेखाशीर्षकः '2225–अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों तथा अन्य पिछड़े वर्गो का कल्याण–03–पिछड़े वर्गो का कल्याण–001–निदेशन तथा प्रशासन–03–मुख्यालय/मण्डलीय/जिला कार्यालयों का अधिष्ठान' मदों के व्यय हेतु धनराशि का आवंटन।

महोदय,

वर्तमान वित्तीय वर्ष 2017–18 में अधिष्ठान मद में शासन के आदेश संख्या–08/2017/652/64–2–2017–1(01)/2017 दिनांक 14 अगस्त, 2017 द्वारा एवं प्रथम अनुपूरक अनुदान द्वारा पारित आदेश संख्या–03/2018/29/64–2–2018–1(01)/2017, दिनांक 23 जनवरी, 2018 के माध्यम से प्राप्त धनराशि रू0 47.00 लाख को जोडकर अन्तिम रूप से व्यवस्थित धनराशि रू0 1872.39 लाख (रू0 अठठारह करोड़ बहत्तर लाख बहत्तर उनतालिस हजार मात्र) की स्वीकृति प्रदान की गयी है। उक्त स्वीकृत धनराशि में से संलग्न विवरण के अनुसार **जनपदीय कार्यालयों** को व्यय हेतु रू0 13,26,091.00 (रूपया तेरह लाख छब्बीस हजार इक्यानबे मात्र) की धनराशि निम्नलिखित शर्तो एवम् प्रतिबन्धों के अधीन आबंटित की जाती हैः–

1– स्वीकृत धनराशि का आहरण एवम् व्यय वित्त (आय–व्ययक) अनुभाग–1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या– 01/2017/बी–1–02/दस–2017–231/2017, दिनांक 02 जनवरी, 2017 एवं शासनादेश संख्या– संख्या–03/ 2017/बी–1–248/दस–2017–231/2017 दिनांक 20 मार्च, 2017 में दी गयी शर्तो/दिशा निर्देशों को पूर्णतया ध्यान में रखते हुए तथा उसमें उल्लिखित संगत शर्तो/प्राविधानों का कड़ाई से अनुपालन करते हुए ही किया जायेगा।

2– इस सम्बन्ध में होने वाला व्यय वित्तीय वर्ष 2017–18 के आय–व्ययक की अनुदान संख्या–79 के लेखाशीर्षक '2225–अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों तथा अन्य पिछड़े वर्गो का कल्याण–03–पिछड़े वर्गो का कल्याण– 001– निदेशन तथा प्रशासन–03– मुख्यालय/ मण्डलीय/जिला कार्यालय' के अन्तर्गत सुसंगत इकाईयों के नामे डाला जायेगा।

3– आबंटित धनराशि का व्यय प्रत्येक दशा में वर्तमान वित्तीय वर्ष तक सुनिश्चित किया जाये। किसी भी प्रकार की वित्तीय अनियमितताओं के लिए संबन्धित आहरण वितरण अधिकारी व्यक्तिगत रूप से जिम्मेदार होंगे।

4– आबंटित धनराशि का व्यय किसी ऐसे मद में कदापि न किया जाय, जिसके लिए वित्तीय हस्त–पुस्तिका तथा बजट मैनुअल के अन्तर्गत शासन या सक्षम अधिकारी की स्वीकृति व सहमति आवश्यक है। ऐसे व्यय शासन/सक्षम अधिकारी की पूर्व स्वीकृति व सहमति प्राप्त करने के उपरान्त ही किया जाये। आपको पुनः स्पष्ट किया जाता है कि अतिरिक्त धनराशि की प्राप्ति की प्रत्याशा में अनाधिकृत एवं अधिक व्यय कदापि न किया जाय एवं व्यय आवंटित धनराशि तक ही सीमित रखा जाये।

5– समय–समय पर निर्गत मितव्ययिता संबंधी आदेशों का पालन विशेष रूप से किया जाय। यह उल्लेखनीय है कि शासकीय व्यय में मितव्ययिता नितांत आवश्यक है। अतः यात्रा व्यय, कार्यालय व्यय, टेलीफोन पर व्यय एवं मोटर गाड़ियों के अनुरक्षण और पेट्रोल आदि की खरीद की मदों के अन्तर्गत व्यय करते समय मितव्ययिता किये जाने के संबंध में समय–समय पर निर्गत शासनादेशों में निहित निर्देशों को सम्मिलित करते हुए वित्त संसाधन (विविध) अनुभाग के शासनादेश संख्या : 2163/10सचि0/(1)/91, दिनांक 10–12–1991 में उल्लिखित निर्णयों का दृढ़तापूर्वक पालन किया जाये। कृपया इन मदों में बचत एवं उपभोग की सूचना यथासमय उपलब्ध कराना होगा।

6– कोषागार से आहरित धनराशि का विवरण प्रत्येक माह की 10 तारीख तक, बी0एम0–8 में अनिवार्य रूप से उपलब्ध कराया जाय। इस विवरण में कोषागार बाऊचर संख्या तथा दिनांक एवं धनराशि का उल्लेख अवश्य किया जाये।

7– आहरण वितरण अधिकारी को अगली बार बजट तभी आवंटित किया जायेगा जब उपर्युक्तानुसार बी0एम0–8 में सूचना प्राप्त हो जायेगी।

8– आबंटित धनराशि का व्यय आपके कार्यालय में स्वीकृत कर्मियों की संख्या के अनुसार ही किया जायेगा।

9— यदि बी0एम0—8 में सूचना नहीं भेजी जाती है तो गबन आदि की कोई घटना होने पर संबंधित आहरण—वितरण अधिकारी जिम्मेदार होंगे।

10— यदि किसी मद में धनराशि समर्पित की जाती है तो संबंधित कोषागार का प्रमाण—पत्र नोट कराना आवश्यक होगा।

11— एक बार धनराशि समर्पित कर दिये जाने के बाद नियमानुसार निदेशक की लिखित स्वीकृति के बिना उस धनराशि का आहरण कोषागार से नहीं किया जा सकेगा। समर्पण के बाद बिना अनुमति के यदि कोई धनराशि कोषागार से आहरित की जाती है, तो इसके लिए आहरण वितरण अधिकारी के विरूद्ध कार्यवाही की जायेगी।

12— कोषागार से आहरित धनराशि का नियमानुसार पूरा लेखाजोखा रखना अनिवार्य होगा।

13— यह भी सुनिश्चित कर लिया जाय कि आहरित धनराशि के प्रत्येक बिल पर सही सम्पूर्ण, मुख्य, उप—मुख्य, लघु एवं विस्तृत लेखाशीर्षक अवश्य अंकित किया जाये, ताकि महालेखाकार के कार्यालय में अंकन में बाधा न हो।

14— बजट की किसी ऐसी प्राथमिक इकाई या लेखाशीर्षक के सापेक्ष व्यय न किया जाय, जिसके लिए बजट में प्राविधान नहीं है।

15— संविदा पर कार्यरत कार्मिकों के पारिश्रमिक का भुगतान मद संख्या—16—व्यवसायिक तथा विशेष सेवाओं के लिये भुगतान मद में आवंटित धनराशि से किया जायेगा।

16— आबंटित धनराशि का व्यय प्रत्येक दशा में वर्तमान वित्तीय वर्ष तक सुनिश्चित किया जाये। किसी भी प्रकार की वित्तीय अनियमितताओं के लिए संबन्धित आहरण वितरण अधिकारी व्यक्तिगत रूप से जिम्मेदार होंगे। 49—चिकित्सा व्यय मद की धनराशि का आहरण वेतनादि (01,03,06) की मदों से अग्रिम आदेशों तक न किया जाय।

17— पुनरीक्षित वेतनमान के एरियर के 50 प्रतिशत की धनराशि की मांग मानक मद "52—पुनरीक्षित वेतनमान का अवशेष" (राजकीय) में पृथक से की जाय तथा वेतनादि मदों से एरियर की धनराशि न आहरित की जाय।

18— जनपदों को आवंटित बजट से मण्डलों का तथा मण्डलों को आवंटित बजट से जनपदों का व्यय कदापि न किया जाय।

19— कतिपय मदों में पुनर्विनियोग के माध्यम से धनराशि की व्यवस्था कर आवंटित की गई है। अतः यदि धनराशि समर्पित की जाती है, तो यह संबंधित अधिकारी की व्यक्तिगत जिम्मेदारी होगी तथा बाध्य होकर उनके विरूद्व कार्यवाही भी की जायेगी।

20— व्यय की सूचना निम्नलिखित तिथियों तक इस कार्यालय को निश्चित रूप से उपलब्ध करा दिया जाय।
   1— व्ययाधिक्य तथा बचत का अन्तिम विवरण दिनांक 31.03.2018 तक।
   2— वर्ष 2017—18 में समर्पण यदि कोई हो, की सूचना दिनांक 15.03.2018 तक।

प्रमाणित किया जाता है कि यह आवंटन निदेशालय के आवंटन रजिस्टर के पृष्ठ संख्या 02 पर अंकित है।

संलग्नकः यथोक्त।

भवदीय,

(सुषमा रानी)
मुख्य वित्त एवं लेखाधिकारी

(अनिल कुमार सागर)
निदेशक

पृ0सं0: 009—डी0बी0ए0 /2859 /पि0व0क0 /अधि0आवं0 /2017—18 तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः—

1— प्रमुख सचिव, उ0प्र0 शासन, पिछड़ा वर्ग कल्याण अनु0—2
2— महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी प्रथम) उ0प्र0 इलाहाबाद।
3— सम्बन्धित मुख्य कोषाधिकारी, उत्तर प्रदेश।

(सुषमा रानी)
मुख्य वित्त एवं लेखाधिकारी

Allotment Grid Report

वित्तीय वर्ष:-2017-2018
आवंटन दिनांक-23/03/2018

प्रेषण संख्या:- .

आवंटन आदेश संख्या:- 008-DBA

अनुदान संख्या:- 79 समाज कल्याण विभाग (विकलांग एवं पिछड़ा वर्ग कल्याण)(वित्तीय वर्ष 2017-2018 का आवंटन)

लेखाशीर्षक:- 2225 - अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों तथा अन्य पिछड़े वर्गों का कल्याण(आयोजनेत्तर-मतदेय)
03 - पिछड़े वर्गों का कल्याण
001 - निदेशन तथा प्रशासन
03 - मुख्यालय/मंडलीय/जिला कार्यालय

(धनराशि रु. में)

S.No.	अधिकारी/जनपद का नाम		01-वेतन	03-मंहगाई भत्ता	04-यात्रा व्यय	05-स्थानान्तरण यात्रा व्यय	08-कार्यालय व्यय	09-विद्युत देय	13-टेलीफोन पर व्यय	15-गाड़ियों का अनुरक्षण और पेट्रोल आदि की खरीद	16-व्यावसायिक तथा विशेष सेवाओं के लिए भुगतान	17-किराया, उपशुल्क और कर-स्वामिस्व	47-कम्प्यूटर अनुरक्षण/तत्सम्बन्धी स्टेशनरी का क्रय	योग
1	आगरा-4702-जिला पिछडा वर्ग कल्याण अधिकारी , --01--	वर्तमान प्रगामी	0 2673600	0 398400	0 10000	0 58000	0 30000	2691 38691	0 8000	0 272000	0 190500	20460 149560	0 60000	23151 3888751
2	मैनपुरी-4702-जिला पिछडा वर्ग कल्याण अधिकारी , --01--	वर्तमान प्रगामी	0 1148600	0 46700	0 20000	0 0	0 20000	0 10000	0 8000	0 200000	2080 171580	0 0	0 60000	2080 1684880
3	बरेली-4702-जिला पिछडा वर्ग कल्याण अधिकारी , --01--	वर्तमान प्रगामी	0 1829200	0 159248	15000 25000	0 23000	0 30000	0 25000	0 6000	0 422000	0 190500	0 36000	0 60000	15000 2805948
4	बिजनौर-4702-जिला पिछडा वर्ग कल्याण अधिकारी , --01--	वर्तमान प्रगामी	0 1066108	0 47002	0 15000	11729 39729	0 45000	0 25000	0 8000	0 200000	44131 238559	0 125000	0 85000	55860 1894398
5	पीलीभीत-4702-जिला पिछडा वर्ग कल्याण अधिकारी , --01--	वर्तमान प्रगामी	0 711000	0 28100	0 0	0 0	0 20000	19913 19913	0 8000	0 200000	0 169500	0 0	0 60000	19913 1216513
6	इटावा-4702-जिला पिछडा वर्ग कल्याण अधिकारी , --01--	वर्तमान प्रगामी	0 1334600	0 112600	0 5000	0 50000	0 30000	0 40000	0 13000	25000 225000	0 196771	0 0	0 70000	25000 2076971
7	फतेहपुर-4702-जिला पिछडा वर्ग कल्याण अधिकारी , --01--	वर्तमान प्रगामी	0 1175600	0 61886	0 25000	0 40000	0 20000	0 250000	0 6000	0 200000	9150 178650	0 0	0 60000	9150 2017136
8	इलाहाबाद-4702-जिला पिछडा वर्ग कल्याण अधिकारी , --01--	वर्तमान प्रगामी	0 5323942	0 303200	0 46600	0 48000	0 40000	34341 34341	0 20000	0 447000	0 237771	86310 86310	0 110000	120651 6697164
9	हमीरपुर-4702-जिला पिछडा वर्ग कल्याण अधिकारी , --01--	वर्तमान प्रगामी	54108 837708	9755 43255	10000 10000	0 35000	2824 22824	0 2300	0 8000	35600 235600	9120 178620	0 13760	20000 80000	141407 1467067
10	मिर्ज़ापुर-4702-जिला पिछडा वर्ग कल्याण अधिकारी , --01--	वर्तमान प्रगामी	0 1813200	0 181000	0 16000	0 19019	0 40000	0 0	0 8000	0 397000	27271 245042	0 0	0 60000	27271 2779261
11	गाज़ीपुर-4702-जिला पिछडा वर्ग कल्याण अधिकारी , --01--	वर्तमान प्रगामी	0 1341700	0 55162	0 0	29000 29000	0 20000	0 0	0 8000	0 200000	0 169500	0 0	0 60000	29000 1883362

	ीतापुर-4702-जिला पिछडा वर्ग कल्याण अधिकारी , --01--	वर्तमान प्रगामी	0 1038800	0 106600	0 5000	0 20000	0 45000	0 205560	0 8000	0 175000	0 169500	0 0	4790 64790	4790 1838250
13	हरदोई-4702-जिला पिछडा वर्ग कल्याण अधिकारी , --01--	वर्तमान प्रगामी	64076 1158876	7966 71875	0 10000	0 28000	0 20000	0 27000	0 10840	0 200000	0 169500	0 546483	0 80000	72042 2322574
14	लखीमपुर खीरी-4702-जिला पिछडा वर्ग कल्याण अधिकारी , --01--	वर्तमान प्रगामी	0 790108	0 32300	6000 6000	39630 39630	0 30000	0 77423	0 8000	0 200000	0 169500	0 0	0 60000	45630 1412961
15	फैजाबाद-4702-जिला पिछडा वर्ग कल्याण अधिकारी , --01--	वर्तमान प्रगामी	0 2337803	0 182737	0 0	0 0	0 29584	61987 98987	0 0	0 222000	16771 186271	4800 29800	0 60000	83558 3147182
16	सुल्तानपुर-4702-जिला पिछडा वर्ग कल्याण अधिकारी , --01--	वर्तमान प्रगामी	0 876800	0 151600	0 10000	0 0	0 25000	30700 127700	0 6000	16400 191400	9391 178891	27024 33780	0 70000	83515 1671171
17	गाजियाबाद-4702-जिला पिछडा वर्ग कल्याण अधिकारी , --01--	वर्तमान प्रगामी	0 1328046	0 39500	0 40000	0 50000	0 60000	40000 65468	0 19000	130000 330000	19404 188904	0 0	0 80000	189404 2200918
18	सिद्धार्थनगर-4702-जिला पिछडा वर्ग कल्याण अधिकारी , --01--	वर्तमान प्रगामी	0 642562	0 40600	0 10000	16741 48741	0 30000	0 0	0 12000	0 200000	0 169500	0 0	0 60000	16741 1213403
19	फिरोजाबाद-4702-जिला पिछडा वर्ग कल्याण अधिकारी , --01--	वर्तमान प्रगामी	0 784800	0 31900	0 35000	24500 24500	0 20000	0 10000	0 6000	0 200000	0 169500	0 0	0 60000	24500 1341700
20	महाराजगंज-4702-जिला पिछडा वर्ग कल्याण अधिकारी , --01--	वर्तमान प्रगामी	500 408500	0 17552	0 0	0 15000	0 20000	0 15000	0 6000	0 200000	0 169500	0 4050	0 60000	500 915602
21	हाथरस-4702-जिला पिछडा वर्ग कल्याण अधिकारी , --01--	वर्तमान प्रगामी	9620 576120	0 26000	0 20000	0 0	0 20000	0 12000	2000 10000	0 200000	0 169500	0 0	0 60000	11620 1093620
22	संत कबीर नगर-4702-जिला पिछडा वर्ग कल्याण अधिकारी , --01--	वर्तमान प्रगामी	32308 994108	0 51310	0 0	0 0	0 20000	214000 236000	0 8000	0 200000	0 169500	0 0	0 60000	246308 1738918
23	अमेठी-4702-जिला पिछडा वर्ग कल्याण अधिकारी , --01--	वर्तमान प्रगामी	52000 1256600	27000 62000	0 15000	0 30000	0 20000	0 0	0 8000	0 200000	0 169500	0 0	0 60000	79000 1821100
	योग	वर्तमान प्रगामी	212612 31448381	44721 2250527	31000 323600	121600 597619	2824 657408	403632 1320383	2000 202840	207000 5517000	137318 4246559	138594 1024743	24790 1539790	1326091 49128850

महायोग- (वर्तमान आवंटन):- रूपया तेरह लाख छब्बीस हजार इकानवे
महायोग- (प्रगामी आवंटन):- रूपया चार करोड़ इकानवे लाख अठाईस हजार आठ सौ पचास

(सुषमा रानी)
मुख्य वित्त एवं लेखाधिकारी